कार्यालय श्रम पदाधिकारी विदिशा
जिला–विदिशा (म.प्र.)

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 की धारा 4 के अधीन

लोक प्राधिकारियों का दायित्य

बिन्दु क्रं.–01 श्रम आयुक्त संगठन की जानकारी, कार्य प्रणाली तथा कर्त्तव्य

1.1. संविधान के श्रम संबंधी सुसंगत प्रावधान

भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और ''राज्य की नीति के निर्देशक तत्व'' संबंधी अध्यायों में वे सिद्धांत विहित हैं, जिन पर राज्य की श्रम नीति आधारित होगी। जिनमें से प्रमुख निम्न हैः–

- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें निर्बाध परंतु शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की स्वतंत्रता शामिल है
- बलात् श्रम का और कारखानों, खदानों, जोखिम–युक्त नियोजनों में बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद–23
- बाल श्रमिकों के खतरनाक श्रेणी के नियोजनों पर प्रतिबंध, के पर प्रतिबंध, अनुच्छेद–24
- पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन, अनुच्छेद – 39
- काम की न्याय–संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध, अनुच्छेद–42
- सभी कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन–स्तर, आदि सुनिश्चित किया जाना, अनुच्छेद – 43
- सभी कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की तथा बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा, अनुच्छेद–45
- उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी।

कानून बनाने की शक्तियॉ :–

भारतीय संविधान की सातवी अनूसूची को तीन भागों में बांटा गया है जिससे केन्द्र,राज्य एवं समवर्ती सूची सम्मिलित है, जिससे श्रम संबंधी महत्तवपूर्ण विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। जिसमे केन्द्र तथा राज्य दोनो को श्रम संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। सुसंगत प्रविष्ठियों का उद्वहरण निम्नानुसार है

- व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद
- सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी
- श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशायें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व,
- कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।
- समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिये संसद और राज्य के विधान मंडल दोनो सक्षम

1.2. महत्वपूर्ण श्रम कानून

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के लिये प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लिखित जिन कानूनों के नाम ''मध्य प्रदेश'' से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं, तथा शेष केंद्रीय अधिनियम हैं) :–

- **औद्योगिक संबंध विषयक कानून**
  - ✓ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
  - ✓ मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
  - ✓ व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
  - ✓ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
  - ✓ मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961

- **मजदूरी (पारिश्रमिक) संबंधी कानून**
  - ✓ मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
  - ✓ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
  - ✓ बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

- **कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून**
  - ✓ मध्य प्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
  - ✓ बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
  - ✓ ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
  - ✓ मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
  - ✓ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996
  - ✓ भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
  - ✓ अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
  - ✓ विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976
  - ✓ श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

- **महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून**
  - ✓ मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
  - ✓ समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

- **श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून**
  - ✓ बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
  - ✓ बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

- **सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून**
  - ✓ कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
  - ✓ उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

- **श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून**
  - ✓ बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

- **विविध**

  श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988 उपर्युक्त में से कुछ अधिनियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह केन्द्र सरकार की और कुछ की पूरी तरह राज्य सरकार की है, जबकि कतिपय अधिनियमों के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका है।

1.3. श्रम आयुक्त संगठन की संरचना तथा सामान्य जानकारी :–

राज्य के श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के, शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। इसके आधार पर प्रदेश को एक सक्षम श्रम शक्ति प्राप्त होती है जो कि औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान देती है।

श्रमायुक्त संगठन प्रवर्तन एवं औद्योगिक संबंध के अमले के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा–शर्तो का नियमन करता है जिससे श्रमिकों के वेतन, कार्यदशाएं समुचित रहती है तथा औद्योगिक विवाद का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। इसके साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है जिससे आकस्मिक रूप से श्रमिक दुर्घटना के शिकार न हो, एवं उन्हें समुचित कार्यदशा कार्य करने के लिये उपलब्ध हो सके।

संविधिक मंडल

- **मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल ।**
- **मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर ।**
- **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल ।**

1.4. श्रमायुक्त संगठन

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिए आवश्यक संख्या में उप/सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, आदि नियुक्त करेगा। तद्नुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत ''मुख्य सराधक'' भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इंदौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो शाखायें कार्यरत हैं :– एक शाखा श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करती है, तथा दूसरी शाखा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संपादित करती है।

1.5. ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य

ग्राम स्वराज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम–स्तर पर श्रम विभाग से संबंधित कृत्य ग्राम सभा की ''ग्राम विकास समिति'' नामक स्थायी समिति को सौंपे गए हैं। ये कृत्य मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं:–

- ✓ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
- ✓ बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,
- ✓ समान पारिश्रमिक अधिनियम,
- ✓ अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और
- ✓ इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना

1.6. विदिशा जिले में स्थापनाओं की जानकारी

मध्य प्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, एवं बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान।

बिन्दु क्रमांक–2 संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्व एवं शक्तियां

श्रमायुक्त संगठन के अधिकारियों व कर्मचारियों के दायित्वों व शक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

श्रेणी	*पद*	*दायित्वों का संक्षिप्त विवरण*	*प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का संक्षिप्त विवरण*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		(अ) मुख्यालय में पदस्थ	
द्वितीय श्रेणी	**श्रम पदाधिकारी**	1. कार्यालय में पदस्थ अमे से स्थापना एवं लेखा का कार्य लेना।	उपकरण व भण्डार क्रय करने की शक्ति।
		2. आंवटित क्षेत्र में /जिलों मे औद्योगिक सबंध में का कार्य जिसमें औद्योगिक संबंध का कार्य जिसमें औद्योगिक शांति बनाये रखना ।	वसूली योग्य न होने वाले भण्डार तथा शासकीय धन की हानि का अपलेखन आदि
		3. औद्योगिक अशांति की स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति नजर एवं जिला प्रशासन में तालमेल	सामान्य भवष्यि निधि से सामान्य कारणो से अग्रिम/आंशिक अंतिम विकर्षण स्वीकृति करने के के अधिकारी (कार्यालय प्रमुख की हैसियत से) स्वयं के नियंत्रण के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन एवं यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करन संबंधी अधिकार स्वयं के प्रभार के कार्यालय हेतु आहरण एवं संवितरण के अधिकार
		4. आंवटित क्षेत्र /जिलों में औद्योगिक विवाद एवं शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही ।	
		5. जिलें में प्रमुख श्रम अधिनियम के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराना	
		अधिनियम का नाम	**कार्य**
		औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947	संराधन अधिकारी के रूप में विवाद का निराकरण एवं संदर्भित किया जाना
		म.प्र. औद्योगिक संबंध अधि.1960	संराधक के रूप में औद्योगिक विवाद का निराकरण
		म.प्र.औद्यो. नियो.(स्थाई आज्ञाएं) अधि 1961	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		मजदूरी भुगतान अधि. 1936	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		न्यूनतम वेतन अधि. 1948	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		बेनस भुगतान अधिनियम, 1965	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।

		म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि. 1958	सुलहनामा तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		बीडी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन एवं शर्ते) अधि. 1966	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	पंजीयन अधिकारी तथा अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में कार्य करना। निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	पंजीयन, नवीकरण तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन तथा विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधि., 1979	पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते एवं प्रर्कीण उपबंध) अधिनियम, 1955	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधि. 1982 म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधि.1996 के अंतर्गत निरीक्षक तथा म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधि.,1996 के अंर्तगत उपकर निर्धारण प्राधिकारी के दायित्व।	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		6. जिलों में सभी श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन का कार्य	
		7. जिलों में श्रम कल्याण संबंधी योजना पर कार्यवाही	
		8. बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, महिला मजदूर के संबंध में विशेष निर्देशित कार्यवाही	
		9. कार्यालय से संबधित समस्त पत्र व्यवहार	
		10. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में दावों का निराकरण	
		11.अपीलीय कार्य –बीडी एवं सिगार कामगार अधिनियम, 1966	
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	श्रम निरीक्षक	1. आवंटित क्षेत्र में विभिन्न श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप निम्नानुसार कार्य करना।	

		अधिनियम का नाम :–	
		औद्यो. विवाद अधि. 1947	
		म.प्र. औद्योगिक संबंध अधि.1960	
		म.प्र. औद्यो. नियोजन (स्थाई आज्ञाएं) अधि. 1961	
		मजदूरी भुगतान अधि. 1936	
		न्यूनतम वेतन अधि. 1948	
		बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	
		म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि. 1958	
		बीडी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन एवं शर्ते) अधि. 1966	
		ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	
		मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	
		अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन तथा विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979	
		श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते एवं प्रर्कीण उपबंध) अधिनियम, 1955	
		समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	
		म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधि. 1982 म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 के अंतर्गत निरीक्षक तथा म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंर्तगत उपकर संग्राहक के दायित्व।	
		2. शिकायतों की जांच	
		3. औद्योगिक अशांति के लेबर इंजलेंसी	
		4. श्रम पदाधिकारी द्वारा सोंपे गये कार्य	
	सहायक ग्रेड–2	1.स्थापना से संबधित संपूर्ण लेखा कार्य	
		2.देयक तैयार करना व केश, केशबुक	
		3.बजट आवंटन आदि सम्मिलित	
	सहायक ग्रेड–3	1. स्थापना से संबधित संपूर्ण लेखा	
		2.देयक तैयार व केश, केशबुक लिखना	
		3.बजट आवंटन आदि सम्मिलित	

// कार्यालयीन संरचना //

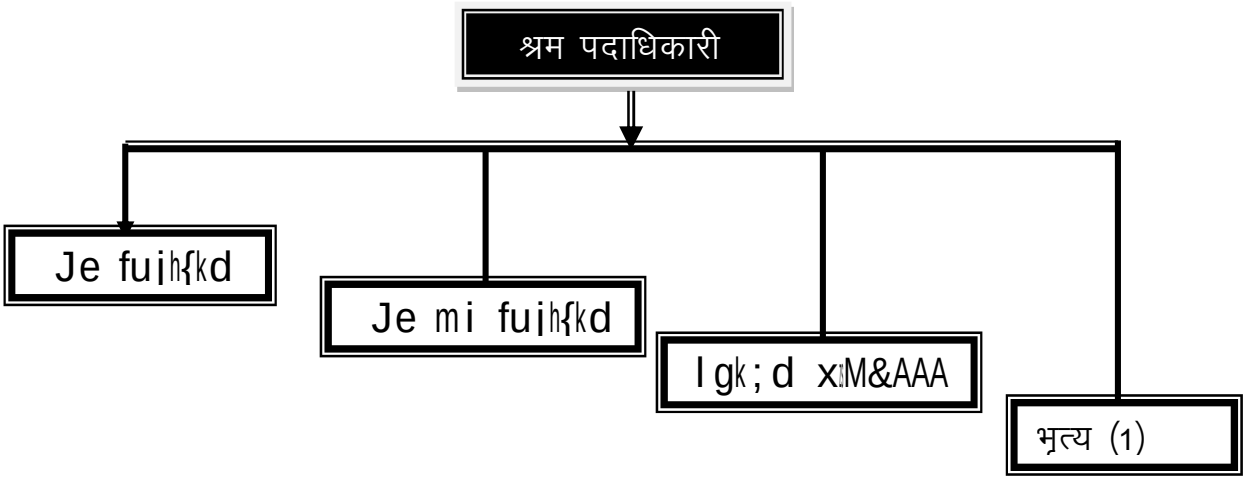

बिन्दु क्रमांक–3 विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

अ. मुख्यालय स्तर पर

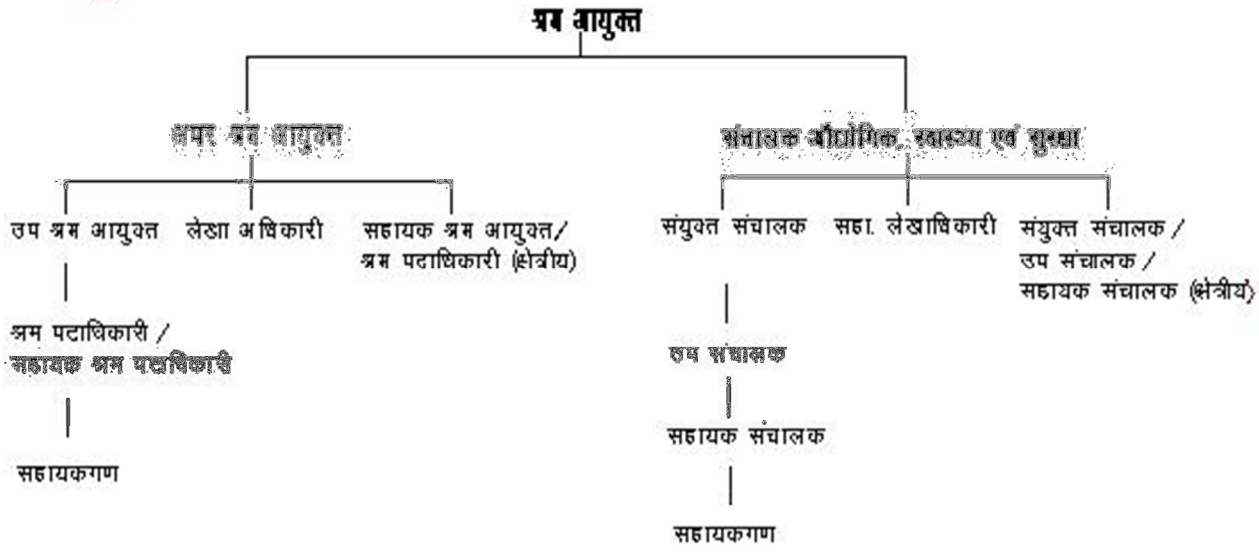

ब. क्षेत्रीय (फील्ड) स्पर पर

बिन्दु क्रमांक–04 अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

श्रम कार्यालयों हेतु–

श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन उचित ढंग से हो ।

अ.क्रं.	अधिनियम का नाम
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
2	संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नि.श.) अधि.1966, मोटर यातायात श्रमिक अधि. 1961, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधि.1958
3	समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961
4	बाल श्रमिक (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 तथा बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976

1 कण्डिका क्रमांक–1 में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अन्य नियोजनों के साथ कृषि नियोजन भी सम्मिलित है। यह सुनिश्चित की जाए कि अधिसूचित नियोजन के अन्तर्गत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहे हो।

2. उपरोक्त कंडिका क्रमांक–2 में संविदा श्रमिक अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम तथा मोटर यातायात अधिनियम के अन्तर्गत 10 या 10 से अधिक श्रमिक होने पर निरीक्षण किये जा सकेंगे, परन्तु निरीक्षण करते समय श्रम निरीक्षक यह ध्यान रखे कि उक्त सभी अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण संपादित हो।

3. श्रम निरीक्षकों के लिए निर्धारित निरीक्षण में से 10 प्रतिशत पर्यवेक्षीय निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे। अर्थात् सहायक श्रमायुक्त तथा श्रम पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में उक्त पर्यवेक्षीय निरीक्षण संपादित करेंगे।

4.. प्रदेश में विभिन्न शासकीय विभागों में ठेकेदारी प्रथा पर श्रमिकों से कार्य संपादित कराये जा रहे हैं प्रायः देखा गया है कि उन कार्यों में कार्यरत् ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधान का लाभ नहीं मिल पाता है। इस हेतु श्रम निरीक्षक यह सुनिश्चित करे कि ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है वह उचित हो और मजदूरी के भुगतान को विभाग के शासकीय अधिकारी जैसे सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा अन्य प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में हो तथा वहॉ मजदूरी भुगतान को अभिप्रमाणित करे। इससे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

6. संविदा श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे ठेकेदार जो बिना लाइसेंस लिये ठेकेदारी प्रथा पर श्रमिक नियोजित किये गये हैं तथा ऐसे ठेकेदार जो ठेका श्रमिकों की कम संख्या दर्शा कर बिना लाइसेंस प्राप्त किये श्रमिक नियोजित किये गये हैं उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार अन्तरर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों के कार्यदशा के नियमन एवं कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत यथा

आवश्यक निरीक्षण संपादित की जाए। इन श्रमिकों का पंजीयन/नियमन उचित ढंग से होने की स्थिति में बंधक श्रम की समस्या से मुक्ति मिल सकती हैं।

7. श्रम निरीक्षक, उल्लेखित सभी श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण करते समय उपस्थित श्रमिकों के अभिकथन, जिसमें उन्हें प्रदत्त हाजिरी कार्ड, वेतन पर्ची, हाजिरी रजिस्टर में नाम की स्थिति, न्यूनतम वेतन, बोनस, अवकाश तथा अन्य सुविधाओं के लाभ की स्थिति अंकित करेंगे।

8. ईट–भट्टों में कार्यरत श्रमिकों को, स्टोनक्रेशर/पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों, ठेका श्रमिकों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का श्रमायुक्त महोदय के निर्देशानुसार निरीक्षकण संपादित करेगे।

9. श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत विभाग को बीड़ी श्रमिकों तथा भवन निर्माण श्रमिकों के परिचय पत्र तथा बीड़ी श्रमिकों हेतु आवास योजना के क्रियान्वयन के मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

बिन्दु क्रमांक–05 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये नियम, विनिमय अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

<u>श्रम विभाग की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत निरीक्षण संबंधी दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर</u>

श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन इंदौर के निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी एवं श्रम निरीक्षकों के द्वारा विभिन्न अधिनियमों के प्रर्वतन का कार्य संपादित किया जाता है :–

मध्यप्रदेश औद्योगिक श्रम अधिनियम 1961 एवं औद्योगिक संबंध अधिनियम 1947 इन अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाये रखना तथा विवादों की जॉच करके रोकथाम तथा निबटारे की व्यवस्था करना है।

संराधन प्रकिया की व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत विवादो की रोकथाम के लिये की गई है। ताकि उद्योग में शांति बनी रहे तथा उत्पादन कार्य निरंतर होता रहे। इस प्रकिया के संचालन हेतु सक्षम सरकार द्वारा श्रमायुक्त के अधीन संराधन मिलने पर दोनो पक्षो को चर्चा हेतु आव्हान्वित करता है। यह प्रयास करता है कि विचार व्यवस्था से समस्या का निराकरण हो जावे । समझौते पर दोनो पक्षो की सहमति के रूप में उनके हस्ताक्षर करता है। समझौता न होने की स्थिति में वह असफल की रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को भेज देता है । सामान्य तौर पर संराधन की कार्यवाही 14 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए। किन्तु आवश्यकतानुसार इस अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है । अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रमायुक्त महोदय के निर्देशानुसार किये जावेगें।

उपरोक्तनुसार कार्यवाही श्रम निरीक्षक करेंगे।

बिन्दु क्रमांक–06 ऐसे दस्तावेजों को जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गो का विवरण

6.1 स्थापना/प्रशासन संबंधी संधारित अभिलेख–

- ❖ पदों की जानकारी, पदों का वितरण
- ❖ अवकाश
- ❖ वेतन निर्धारण
- ❖ शिकायतें, विभागीय जांच एवं अदालती प्रकरण
- ❖ सर्विस रूल्स एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र
- ❖ सर्विस रिकार्ड, गोपनीय चरित्रावली
- ❖ आवाक, जावक, स्टाम्प अभिलेख
- ❖ टेलीफोन, फैक्स आदि
- ❖ स्टेशनरी, फार्म्स्, अन्य सामग्री
- ❖ गार्ड फाईल एवं मास्टर फाईल आदि।

6.2. लेखा

- ❖ बजट एस्टीमेट, आवंटन एवं रि–एप्रोप्रिएशन
- ❖ वित्तीय,कोष एवं मूलभूत नियम
- ❖ आय–व्यय लेखा
- ❖ क्रय
- ❖ टी.ए.बिल्स
- ❖ वेतन देयक
- ❖ कंटीन्जेंसी व्यय
- ❖ चिकित्सा देयक
- ❖ विधिक देयक
- ❖ स्थायी अग्रिम, लोन, आंशिक अंतिम विकर्षण, वसूली
- ❖ बीमा एवं भविष्य निधि
- ❖ मासिक प्रतिवेदन
- ❖ आयकर एवं व्यावसायकर
- ❖ बैंक खातें
- ❖ गार्ड फाईल एवं मास्टर फाईल।

6.3 औद्योगिक संबंध

- ❖ मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम एवं नियमों का क्रियान्वयन
- ❖ स्थानीय क्षेत्रों का निर्धारण
- ❖ औद्योगिक विवादों का निराकरण एवं संदर्भ
- ❖ मध्यस्थता संबंधी विषय
- ❖ अभियोजन
- ❖ मासिक प्रतिवेदन
- ❖ शिकायतें
- ❖ गार्ड फाईल एवं मास्टर फाईल्स।

6.4 वेतन

- ❖ उपदान भुगतान अधिनियम का प्रवर्तन एवं दावों/अपीलों की सुनवाई
- ❖ वेतन संबंधी अधिनियमों एवं नियमों की व्याख्या
- ❖ बंधक श्रम पद्धति (समाप्ति)अधिनियम का प्रभावशीलन तथा सांख्यकीय संकलन
- ❖ बंधक श्रम सर्तकता समितियों का गठन एवं बैठकें
- ❖ बंधक श्रमिकों की पहचान एवं विमुक्ति तथा पुनर्वास

6.5 प्रवर्तन

- ❖ मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ संविदा श्रम अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ बोनस भुगतान अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ न्यूनतम वेतन अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ शिकायतें
- ❖ अभियोजन एवं न्यायालयीन प्रकरण
- ❖ प्रतिवेदन एवं प्र–विवरण
- ❖ अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं
- ❖ निरीक्षणों का पर्यवेक्षण
- ❖ गार्ड फाईलें एवं मास्टर फाईलें।

6.6 महिला एवं बाल श्रम

- ❖ बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ समान पारिश्रमिक अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ मातृत्व हितलाभ अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन
- ❖ निरीक्षणों का पर्यवेक्षण

बिन्दु क्रमांक– 07 ***किसी व्यवस्था की विशिष्टयॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं***

श्रम आयुक्त संगठन के अंतर्गत विभागीय नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के निर्धारण हेतु निम्नानुसार परिषद/समितियां कार्यरत है जिनमें विभागीय नीति एवं प्रशासन के निर्धारण हेतु सामान्यजन के प्रतिनिधित्व एवं सलाह संबंधी व्यवस्थाएं हैं :–

उक्त जानकारी मुख्यालय स्तर की है अतः बैतूल श्रम पदाधिकारी कार्यालय से जानकारी निरंक समझी जावें ।

बिन्दु क्रमांक– 08 ***ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है क्या बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी।***

श्रम आयुक्त संगठन के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों की परिषदें, समितियां,मण्डल तथा अन्य सलाहकार संगठनों के गठन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 8.1 से 8.7 तक दी गई है। इनकी बैठक में जनसामान्य की उपस्थिति की अनुमति नहीं है, यद्यपि इन बैठकों का कार्यवाही विवरण जनसामान्य हेतु कार्यालय में उपलब्ध होता है।

बिन्दु क्रमांक– 09 अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	पदस्थ दिनांक	पता	दूरभाष
1	2	3	4	5	6
1	श्री आर.के. मिश्रा	श्रम पदाधिकारी	24ण्08ण्2015	**कार्यालय श्रम पदाधिकारी राजीव नगर विदिशा**	07592–232002
2	श्री बी.एस. मीना	श्रम निरीक्षक	02ण्06ण्2015		
3	श्री जी.एस.जाटव	श्रम उप निरीक्षक	09ण्05ण्2011		
4	श्री जैडं.ए.जाफरी	सहा.गेड–तीन	13ण्07ण्1992		
5	श्रीमति लीलावती सिंह	सहा.गेड–तीन	22ण्07ण्1998		
6	श्री दिमान सिंह मीना	भुत्य	25ण्06ण्1991		

बिन्दु क्रमांक– 10 अपने प्रत्येक अधिकारी ओर कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनिमयों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मूल वेतन	प्राप्त कुल वेतन
1	2	3	4	5
1	श्री आर.के. मिश्रा	श्रम पदाधिकारी	15600.391005400	46303ण्00
2	श्री बी.एस. मीना	श्रम निरीक्षक	5200.202002800	31693ण्00
3	श्री जी.एस.जाटव	श्रम उप निरीक्षक	5200.202002800	29357ण्00
4	श्री जैडं.ए.जाफरी	सहा.गेड–तीन	5200.202002100	24816ण्00
5	श्रीमति लीलावती सिंह	सहा.गेड–तीन	5200.202001900	21650ण्00
6	श्री दिमान सिंह मीना	भुत्य	5200.202001800	21106ण्00

बिन्दु क्रमांक–11 *सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिर्पोटों की विशिष्टयॉ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट*

क्रं.	श्रेणी	मद	वर्ष 2015–16 हेतु बजट आंवटन	माह जनवरी–16 तक व्यय	जनवरी–16 तक शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	वेतन	11–001	911070	911070	0
2	मंहगाई भत्ता	11–003	1290791	1290791	0
3	गृह भाडा	11–006	59682	59682	0
4	अन्य	11–008	0	0	0
5	चिकित्सा प्रतिभूति भत्ता	11–009	0	0	0
6	त्यौहार अग्रिम	11–011	0	0	0
7	अनाज अग्रिम	11–016	0	0	0
8	ग्रेड – पे	11–028	186100	186100	0
9	यात्रा भत्ता	21–001	0	0	0
10	डाक टेलीफोन	22–001	1000	0	1000
11	स्टेशनरी	22–004	3000	0	3000
12	बिजली एवं जल प्रभार	22–005	8000	0	8000
13	अन्य	34–009	500	0	500
			2460643	2447643	13000

बिन्दु क्रमांक–12 सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ।

श्रम आयुक्त संगठन द्वारा निम्न हितग्राहीमूलक अनुदान योजनाएं संचालित की जाती हैं :–

- **<u>बंधक श्रम पुनर्वास</u>**

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसरण में बंधक श्रम पद्धति को समान्प करने के लिये वर्ष 1976 से बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लागू है। बंधक श्रम पद्धति से आशय ऐसा बलात् श्रम या अंशतः बलात् श्रम लेने की पद्धति से है जो साधारणतः स्वयं या उसके पूर्वजों को दिये गये ऋण की वसूली के रूप में या रूढ़िगत अथवा सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में लिया जाता है। बंधक श्रम प्रथा का विषय जुलाई 1999 तक राज्य शासन के राजस्व विभाग को आबंटित था। राज्य शासन के कार्य आबंटन नियमों में 1.8.99 से हुए संशोधन द्वारा यह विषय विभाग को आबंटित किया गया । इस संशोधन के पालन में यह कार्य वास्तव में फरवरी, 2000 में श्रम विभाग को हस्तांतरित हुआ। उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसार बंधक श्रम प्रथा के अस्तित्व के बारे में छानबीन, बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं कल्याण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को सौपी गई है। अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य शासन ने समस्त जिला एवं उपखण्डीय मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराधों की विचारणा (ट्रायल) के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, की शक्तियों से वेष्ठित किया है। इस अधिनियम की धारा 13 में जिला एवं उपखंड स्तर पर निगरानी समितियॉ गठित करने का प्रावधान है।

बिन्दु क्रमांक–13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयों

श्रम आयुक्त संगठन द्वारा जारी अनुमति, प्राधिकार एवं छूट बाबद् जानकारी निम्नवत हैः–

- श्रम पदाधिकारी कार्यालय विदिशा जानकारी निरंक।
- संविदा श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति
- म.प्र.दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत विदिशा जिलें में 6 नगरों में उक्त अधिनियम लागू है। जिसके तहत जारी दूकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन किया जाता हैं।
- कार्यालय श्रम पदाधिकारी विदिशा के द्वारा मोटर यातायाता श्रमिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन जारी किये जाते

बिन्दु क्रमांक–14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों

इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभागीय वेबसाइट **<u>ण्उचण्हवअण्पदध्संइवनत</u>** पर उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक–15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिसके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

सूचना के अधिकार के अंतर्गत तथा सिटिजन चार्टर के अंतर्गत श्रम पदाधिकारी कार्यालय विदिशा की जानकारी का विवरण :–

(अ) जन सामान्य को निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारी :–

जनसामान्य द्वारा निम्नवत् जानकारी मांगी जाने पर उन्हे सशुल्क कराई जायें

- अर्द्ध न्यायिक प्रकिया जैसी ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्णित विवाद, म.प्र.दुकान स्थापना अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत अपील के निर्णय, बीडी सिगार कामगार (नियोजन शर्ते) अधिनियम 1966 की धारा 31 के अंतर्गत अपीलो के निर्णय, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत दायर दावों के निर्णय
- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एवं ओ में रखी पंजी में दर्ज अनुबंध एवं समझौते।
- जिला अथवा संभाग में विभिन्न श्रम अधिनियमों में सम्पादित निरीक्षणों की संख्या अभियोजनों की संख्या अधिनियम वार तथा संकलित रूप में जैसे भी स्थिति हो।

(ब) केवल पक्षकारो को निर्धारित शुल्क पर करायी जाने वाली जानकारी। केवल पक्षकार निम्नवत् जानकारी का शुल्क प्राप्त कर सकेंग :–

- म.प्र.औद्योगिक विवाद अधिनियम 1960 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत निर्धारित तारीखों को सम्पन्न बैठकों कीी प्रोसेडिंग की प्रति।
- विभिन्न अर्द्व न्यायिक प्रकरणो में सुनवाई की तारीखो पर संपादित सुनवाई संबंधी प्रोसेडिंग की प्रति।

नोट :–

1 प्रतियां प्रति पृष्ट 2/– रूपये शुल्क जमा करने पर प्रदान की जावेंगी
2 निर्धारित समय–सीमा 30 दिवस में अभिलेख प्रदाय नही किये जाने पर आवेदक सहायक श्रमायुक्त भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगा

श्रम विभाग

सिटीजन चार्टर (नागरिकों का अधिकार लेख)

श्रम पदाधिकारी विदिशा

क्र.	उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा	समय सीमा	जिम्मेदार अधिकारी	निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही न होने पर किसे शिकायत की जा सकती है।
1	2	3	4	5
1	ठेका श्रमिक अधिनियम के अंन्तर्गत प्रतिबंधित ठेका श्रम पद्धति की पुस्तिका	15 दिवस	श्रम पदाधिकारी (प्रवर्तन)	अपर श्रमायुक्त
2	अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों, बोनस, . अधिनियम के अंन्तर्गत जानकारी ग्राम पंचायतों को श्रम विभाग से प्रदाय तथा प्रत्येक जिले में अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की सूची का जिला पंचायत एवं जिला कलेक्टरों का प्रदाय		तदैव	जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी
3	संविदा श्रमिक अधिनियम,1970, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, बीडी सिगार कामगार अधिनियम के अंन्तर्गत दिशा निर्देशों कामुदण/ आवेदन पत्र के साथ इसका प्रदाय	1 माह	तदैव	तदैव
4	औद्योगिक विवाद अधिनियम1947 के अंन्तर्गत सेवा पृथकीकरण के प्रकरण संराधन कार्यवाही में हस्तगत करने के पश्चात निराकरण हेतु	14 दिवस	श्रम पदाधिकारी, (औ.स.)	तदैव
5	औद्योगिक विवाद अधिनियम1947 के अंन्तर्गत अन्य समझौता प्रकरणों में प्रारंभिक जांच	1 माह	तदैव	तदैव
6	औद्योगिक विवाद अधिनियम1947 के अंन्तर्गत समझौता कार्यवाही	3 माह	तदैव	तदैव
7	म.प्र.औद्योगिक संबंध के अंन्तर्गत समझौता कार्यवाही	1 माह तथा 3माह	तदैव	तदैव

बिन्दु क्रमांक–16 *लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ*

लोक सूचना अधिकारी

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल	पता
1	**श्री आर.के मिश्रा**	श्रम पदाधिकारी	07592	232002		सवअपकपीं/हउंपसण्बवउ	कार्यालय श्रम पदाधिकारी विदिशा

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल	पता
1	**श्री बी.एस. मीना**	श्रम निरीक्षक	07592	232002		सवअपकपीं/हउंपसण्बवउ	कार्यालय श्रम पदाधिकारी विदिशा

विभागीय अपीलीय अधिकारी

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल	पता
1	**श्री एस.बी. सिंह**	सहा. श्रमायुक्त	0755	2744977		सबइीवचंसउच/हउंपसण्बवउ	पुराना सचिवालय भोपाल

बिन्दु क्रमांक–17 *ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए*

श्रम पदाधिकारी
जिला–विदिशा

कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला—विदिशा (म.प्र.)

(राजीव नगर विदिशा)
म्.उंपस सवअपकर्पों / हउंपसण्बवउए चैण छवण्.232002

क्रं. / श्रम / क्यू / स्टेनो / 2016 /   विदि ाा, दिनांक ....

.

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला—विदिशा (म.प्र.)

विषय :— सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 की जानकारी भेजने के संबंध में।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / लो.सू.अ. / 2016 / 1780, विदिशा दिनाँक 09.02.2016।

——0——

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के 17 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है।

विदिशा श्रम कार्यालय की सूचना के अधिकारी अधिनियम—2005 के 17 बिन्दुओं की जानकारी आपके निर्देशानुसार तैयार कर पत्र के संलग्न प्रेषित।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

श्रम पदाधिकारी
जिला—विदिशा (म.प्र.)

कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला–विदिशा (म.प्र.)

(राजीव नगर विदिशा)

म्.उंपस सवअपकर्पों / हउंपसण्बवउए चैण छवण्.232002

क्रं. / श्रम / क्यू / स्टेनो / 2016 /   विदि ाा, दिनांक ....

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला–विदिशा (म.प्र.)

विषय :–   सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की जानकारी भेजने के संबंध में।
संदर्भ :–   आपका पत्र क्रमांक / लो.सू.अ. / 2016 / 1780, विदिशा दिनाँक 09.02.2016।

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के 17 बिन्दुओं की जानकारी श्रम कार्यालय विदिशा की निम्नानुसार हैं :–

क्रं.	बिन्दु क्रमांक	उत्तर
1	2	3
1	अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य	श्रम पदाधिकारी के समस्त कार्य
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य	श्रम अधिनियम के प्रवर्तन एवं क्रियान्वयन
3	विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कियान्वयन
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	प्रत्येक कार्य को समय सीमा में करना। प्रत्येक आवेदक को समक्ष में सुनना। श्रम अधिनियमों का क्रियान्वयन। जिले में प्राधिकृत अधिकारियों से समन्वय
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम।
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण	औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक संबंध अधिनियम, उपादान भुगतान अधिनियम
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं	–– निरंक ––
8	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या बोर्डो, परिशदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी।	–– निरंक ––
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	–– निरंक ––

निरंक ....

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनिमयों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं	1. आर.के. मिश्रा, श्रम अधिकारी 2. श्री बी.एस. मीना, श्रम निरी. 3. श्री जी.एस. जाटव, श्रम उप निरी. 4. श्री जैड़.ए.जाफरी, सहा.ग्रे.–3 5. श्रीमति लीलावती सिंह,सहा. ग्रे.–3
11	सभी योजनाओं,प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिर्पोटों की विशिश्टियॉ उपदर्शित करते हुऐ अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	––– निरंक –––
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	––– निरंक –––
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा–पत्रों या प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ	––– निरंक –––
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों	––– निरंक –––
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिसके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	––– निरंक –––
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ	श्री आर.के. मिश्रा, श्रम पदाधिकारी
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए	––– निरंक –––

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

श्रम पदाधिकारी
जिला–विदिशा (म.प्र.)